

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़

Email:- registrar.rmpu@gmail.com, Contact No. 7017836228

पत्रांक:-आर०एम०पी०य०० / 207 / 2022

दिनांक:- 05 अप्रैल, 2022

अधिसूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि विद्या परिषद एवं कार्य परिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 प्रकोष्ठ की बैठक दिनांक 05 अप्रैल, 2022 द्वारा स्नातक स्तर पर सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश सम्बन्धी दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं। जो उ0प्र0 के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की अनुशंसा के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1065/सत्तर-3-3021-16 (26)/2011 दिनांक 20-04-2021, संख्या 1567/सत्तर-3-2021-16 (26)/2011 टी0सी० लखनऊ दिनांक 13-07-2021, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 25-06-2021 के अनुपालन एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासकीय निर्देशों के अनुरूप राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ द्वारा गठित राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रकोष्ठ 2020 ने कुलसचिव डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की अधिसूचना संख्या : शैक्षिक / 10/2021-22 दिनांक 24-08-2021 के अनुरूप शैक्षणिक सत्र 2021-22 में न्यूनतम समान पाठ्यक्रमों एवं स्नातक स्तर पर सी०बी०सी०एस० सैमेस्टर सिस्टम को अंगीकृत करते हुए सत्र 2021-22 के स्नातक प्रथम सैमेस्टर/ प्रथम वर्ष में प्रवेश सम्बन्धी एवं अन्य विषयगत बिन्दुओं के संदर्भ में यह आधारभूत दिशा निर्देश तैयार किये गये हैं जो भविष्य में सामयिक आवश्यकता के अनुरूप संशोधित किये जा सकते हैं।

संलग्नक : यथोपरि ।

(महेश कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, मा० कुलपति जी राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के लिए अवलोकनार्थ।
2. सहायक कुलसचिव, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ ।
3. प्राचार्य, विश्वविद्यालय से सम्बद्ध, समस्त राजकीय/अनुदानित अशासकीय/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय।
4. प्रभारी वेब साइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना समस्त महाविद्यालयों के कॉलेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. सम्बन्धित पत्रावली में संरक्षित हेतु ।

कुलसचिव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 को स्नातक स्तर पर सत्र 2021–22 से लागू करने सम्बन्धी दिशा निर्देश

1. पाठ्यक्रम / कार्यक्रम लागू करने की समय—सारिणी

- 1.1 : राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रकोष्ठ द्वारा निर्देशित यह नियमावली सत्र 2021–22 में तीन विषयों वाले स्नातक पाठ्यक्रमों बी०ए०, बी०एससी०, बी०कॉम०द्व में प्रवेशित विद्यार्थियों पर सी०बी०सी०एस० आधारित नवीन पाठ्यक्रम के साथ लागू होगी तथा 2020–21 में प्रवेशित स्नातक/प्रास्नातक पाठ्यक्रमों में उपाधि प्राप्त होने तक यह नियमावली लागू नहीं होगी ।
- 1.2 : बी०ए०, बी०एससी०, बी०कॉम० एकल विषय स्नातक पाठ्यक्रमों तथा पी०च०डी० कार्यक्रम में सी०बी०सी०एस० आधारित यह नवीन व्यवस्था 2022–23 से लागू होगी ।
- 1.3 : राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 के अन्तर्गत की जा रही यह व्यवस्था चिकित्सा, तकनीकी शिक्षा (बी०टेक०, एम०सी०ए० आदि) विधि (बी०ए० एलएल०बी०, एलएल०बी० इत्यादि) एवं बी०ए०ड० में उनकी नियमक संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम एवं व्यवस्था तैयार करने के बाद लागू की जायेगी ।

2. कार्यक्रम एवं संकाय

- 2.1 : राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय में संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्थायें, डॉ० भीमराव अम्बेडेकर विश्वविद्यालय आगरा की परिनियमावली के अनुरूप ही चलेंगी ।
 - 2.2 : विद्यार्थी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 का पूर्ण अनुपालन करने पर अपने संकाय में एक वर्ष में सर्टीफिकेट, दो वर्ष में डिलोमा, तीन वर्ष में स्नातक डिग्री, चार वर्ष में शोध सहित स्नातक डिग्री, पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर, डिग्री एन्टीग्रेटिड छः वर्ष की पी०जी०डी०आर० तथा शोध उपाधि मिलेगी यथा बी०ए०, बी०एससी०, बी०कॉम०, बी०ए०ड०, बी०बी०ए०, बी०एल०ई०, एम०ए०, एम०एससी०, एम०कॉम०, एल०एल०बी०, पी०च०डी० इत्यादि ।
 - 2.3 : विद्यार्थियों को बहु विषयकता उपलब्ध कराने के लिए संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश—संख्या 1267 / सत्तर-3-2021-16(26) / 2011 दिनांक 15-06-2021 के अनुसार होगी यथा 1. विज्ञान संकाय, 2. वाणिज्य संकाय, 3. भाषा संकाय, 4. कला संकाय, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय, 5. ग्रामीण अध्ययन संकाय, 6. ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय, 7. कृषि संकाय, 8. विधि संकाय, 9. शिक्षक शिक्षा संकाय, 10. प्रबन्धन संकाय, 11. वोकेशनल स्टडीज संकाय ।
- नोट : भाषा संकाय, ग्रामीण अध्ययन संकाय, ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय को बहुविषयकता के लिए अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री कला संकाय (बी०ए०) की मिलेगी ।
- 2.4 : संकाय एक ही प्रवृत्ति के विषयों का एक समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय एवं विधि संकाय इत्यादि । विद्यार्थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जिस संकाय से दो विषयों का चयन करेगा वह उसके मुख्य विषय (Major Subjects) कहलायेंगे तथा वह विद्यार्थी की Own Faculty या निजी संकाय होगी ।
 - 2.5 : एक विषय एक ही संकाय में सूची(होगा) एक विषय के विभिन्न थ्योरी / प्रेक्षिकल के पेपर को पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा एवं दोनों के कोड अलग—अलग होंगे ।

3. प्रवेश प्रक्रिया

- 3.1 विद्यार्थी स्नातक में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे तथा डब्ल्यूआरएनो नम्बर अंकित किये हुये रजिस्ट्रेशन के प्रपत्र को विश्वविद्यालय के संस्थान/विभाग, महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों तथा संसाधनों के आधार पर प्रवेश ले सकेंगे।
- 3.2 विद्यार्थी द्वारा चुनाव किये गये प्रथम दो विषयों के आधार पर प्रदान की जाने वाली डिग्री यथा बीए०, बीएससी० अथवा बीकॉम० में सीटों की उपलब्धता के आधार पर तथा विद्यार्थी के द्वारा आवश्यक अर्हता पूर्ण करने पर विद्यार्थी को विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संकाय में प्रवेश दिया जायेगा।
- 3.3 प्रवेश हेतु अतिरिक्त अंकों की व्यवस्था डॉ भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 17-06-2021 में लिये गये निर्णय के अनुसार होगी जब तक कि राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की प्रवेश समिति की बैठक में उक्त के सम्बन्ध में निर्णय नहीं हो जाता।

4. विषयों की चयन व्यवस्था -

- 4.1 विद्यार्थी को स्नातक में प्रवेश के समय सर्वप्रथम विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में एक संकाय ;कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि का चुनाव करना होगा और तत्पश्चात् उसे उस संकाय के दो मुख्य मेजर विषयों का चुनाव करना होगा, जिसका आवंटन महाविद्यालय में मैरिट, उपलब्ध सीट की संख्या व संसाधनों पर निर्भर करेगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा, जिसमें वह तीन वर्ष प्रथम से छठे सेमेस्टर तक अथवा पाँच वर्ष स्नातक व परास्नातक तक अध्ययन कर सकेगा।
- 4.2 इसके उपरान्त विद्यार्थी एक और मुख्य विषय का चुनाव करेगा जो उसके अपने संकाय (Own Faculty) अथवा दूसरे संकाय (Other Faculty) से हो सकता है। इस तरह विद्यार्थी को कुल तीन मुख्य विषयों का अध्ययन करना होगा, जिसमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय के होंगे तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा प्रवेशित महाविद्यालय में उपलब्ध दूसरे संकाय से ले सकता है।

5. माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव

- 5.1 बहु विषयकता सुनिश्चित करने के लिये स्नातक स्तर पर तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को एक माइनर इलेक्टिव पेपर का अध्ययन करना होगा। इस पेपर का चुनाव छात्र अपने संकाय के विषयों में से अथवा दूसरे संकायों के विषयों में से कर सकते हैं। इसके लिये उसे किसी पूर्व पात्रता (pre-requisite) की आवश्यकता नहीं होगी।
- 5.2 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलैक्टिव पेपर का चयन छात्र को इस प्रकार करना होगा कि इसमें से कोई एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त महाविद्यालय में उपलब्ध किसी अन्य संकाय से हो। स्नातक के विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में एक-एक माइनर पेपर का अध्ययन करना होगा।
- 5.3 कोई विद्यार्थी एक माइनर इलेक्टिव पेपर स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर में तथा दूसरा माइनर इलेक्टिव पेपर द्वितीय वर्ष के तृतीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर में ले सकता है। अर्थात् विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।



✓

5.4 माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव/आवंटन, रास्थान / महाविद्यालय में संचालित विषयों के पेपर में से किया जायेगा। युने हुए माइनर पेपर की कक्षायें फैकल्टी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होगी तथा उराकी परीक्षा भी उसी के साथ होगी ।

5.5 एन०सी०सी० एक लघु-वैकल्पिक विषय ,माईनर इलेक्टिव

5.5.1. लघु-वैकल्पिक (Minor Elective) पेपर के रूप में एन०सी०सी० को भी समिलित किया गया है । यह पेपर 12 क्रेडिट का होगा तथा प्रथम एवं द्वितीय वर्षों (प्रथम से लेकर चतुर्थ सेमेस्टर तक) में पढ़ाया जायेगा। (शासनादेश सं० 1815 / सत्तर-३-२०२१-१६(२६) / २०११ दिनांक ०९-०८-२०२१)

5.5.2. एन०सी०सी० लघु -वैकल्पिक पेपर प्रारम्भ में केवल एन०सी०सी० कैडेंटों के लिये उपलब्ध होगा परन्तु कालांतर में संसाधन आवश्यकताओं को पूर्ण कर सभी छात्रों के लिये उपलब्ध कराया जायेगा तथा तदनुसार पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन एवं अनुमोदन के उपरान्त लागू किया जायेगा ।

6. कौशल-विकास/रोजगारपरक (Skill Development / Vocational) पाठ्यक्रमों का संचालन एवं चुनाव किये जाने सम्बन्धी दिशा निर्देश –

रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र एवं छात्राओं को अध्ययन हेतु उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या-१९६९ / सत्तर-३-२०२१ दिनांक १८-०८-२०२१ के अनुपालन में निम्न व्यवस्था लागू होगी –

6.1 पाठ्यक्रम : विश्वविद्यालय / महाविद्यालय रोजगार परक विषयों / पेपर के पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, जिन्हें विश्वविद्यालय की पाठ्यक्रम समिति, विद्या परिषद एवं कार्यपरिषद इत्यादि से नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा ।

6.2. पाठ्यक्रम स्किल पार्टनर / स्किल डेवलपमेंट कॉउसिल आदि के सहयोग से य०जी०सी० / एन०एस०क्य०एफ० (NSQF : National Skill Qualification Framework) आदि की गाइडलाइन्स के अनुसार बनाया जायेगा ताकि छात्रों के प्लेसमेंट / इनर्टर्नशिप में सुविधा मिल सके ।


6.3 पाठ्यक्रम के प्रकार : पाठ्यक्रम दो प्रकार के हो सकते हैं जिनका चुनाव विद्यार्थी अपनी पसन्द एवं महाविद्यालय में उपलब्धता के आधार पर कर सकेगा ।

Individual nature : एक सेमेस्टर में पूर्ण होने वाले पाठ्यक्रम ।

Progressive nature : एक ही पाठ्यक्रम जिसकी विशेषज्ञता प्रत्येक सेमेस्टर के साथ बढ़ती जायेगी, परन्तु किसी भी सेमेस्टर में छोड़ने पर वह पूर्ण हो सकेगा ।

6.4 विभिन्न विषयों में विगागाध्यक्ष / शिक्षक द्वारा तैयार पाठ्यक्रमों में सामान्य/थ्यौरी एवं स्किल / ट्रेनिंग/इनर्टर्नशिप/लैब का अनुपालन ४०:६० होगा तथा ऐसे पाठ्यक्रमों के लिये स्किल पार्टनर के साथ एम०ओ०य० की व्यवस्था विश्वविद्यालय / कॉलेज प्रशासन करेगा ।

6.5 सामान्य/थ्यौरी पाठ्यक्रम का एक क्रेडिट-15 घंटों का तथा स्किल का एक क्रेडिट -३० घंटों का होगा अर्थात् ३ क्रेडिट के पाठ्यक्रम में १५ घंटे की थ्यौरी ; १ क्रेडिट तथा ६० घंटे की ट्रेनिंग / इनर्टर्नशिप/लैब २ क्रेडिट होगी । प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों चार सेमेस्टर्स के प्रत्येक सेमेस्टर में ३ क्रेडिट (3x4=12 क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रमद्वा का एक रोजगारपरक / कौशल विकास पाठ्यक्रम (Vocational / Skill Development Courses) पूर्ण करना होगा ।

The image shows three handwritten signatures or initials in blue ink. One signature is at the top left, another is at the bottom left, and a third is at the bottom right. Above the bottom right signature is a small circle containing the number '५'.

6.6 विद्यार्थी द्वारा रोजगारपरक / कौशल विकास पाठ्यक्रम के चुनाव के समय महाविद्यालय में वह कार्यक्रम उपलब्ध न होने जैसी स्थिति में अपने प्रवेश के पश्चात् (UGC, SWAYAM, MOOCs etc.) पोर्टल पर उपलब्ध रोजगारपरक ऑनलाइन पाठ्यक्रम चुन सकते हैं। विद्यार्थी इस रोजगारपरक पाठ्यक्रम के सफलातपूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् अर्जित किये गये क्रेडिट के सर्टिफिकेट को विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में जमा कराएंगे जिससे वह उनके परीक्षा परिणाम में यथारथान जोड़ा जा सके।

7 समझौता ज्ञापन (MoU) एवं सीट निर्धारण –


- 7.1 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर पर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के साथ किये गये समझौता ज्ञापन (MoU) के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-602/सत्तर-3-2021-08(35)/ 2020 दिनांक 22-02-2021 के क्रम में विश्वविद्यालय एवं कॉलेज द्वारा राज्यानीय स्तर पर समझौता ज्ञापन (MoU) किये जाने अपेक्षित हैं।
- 7.2 संचालित किये गये जाने रोजगार परक पाठ्यक्रमों के लिये शिक्षण संस्थान निकटस्थ उद्योग, आई०टी०आई० पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, शिल्पकार, पंजीकृत उद्यमों, विशेषज्ञ व्यवित्रियों एवं सरकार द्वारा चलाये जा रहे रोजगार परक पाठ्यक्रमों / प्रशिक्षण / इन्टरनशिप के लिये विश्वविद्यालयी शिक्षण संस्थान / महाविद्यालय सम्बन्धित विभागों से समन्वय करेंगे।
- 7.3 MoU करते वक्त विद्यार्थियों से सम्बन्धित वांछित सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए।
- 7.4 सीट निर्धारण : कॉलेज में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रम तैयार किये जायेंगे तथा स्किल पार्टनर से वार्ता कर सीटों का निर्धारण किया जायेगा।

8 अनिवार्य सह पाठ्यक्रम (Co-Curricular)

- 8.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों छ: सेमेस्टर्स के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह-पाठ्यक्रम 40 प्रतिशत अंकों के साथ अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तान्कों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी०जी०पी०ए० की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। पाठ्यक्रम निम्नवत् हैं :-
- प्रथम सेमेस्टर : भोजन, पोषण और स्वच्छता (Food, Nutrition and Hygiene)
- द्वितीय सेमेस्टर : प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य (First Aid and Health)
- तृतीय सेमेस्टर : मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environmental Studies)
- चतुर्थ सेमेस्टर : शारीरिक शिक्षा और योग (Physical Education and Yoga)
- पंचम सेमेस्टर : विश्लेषणात्मक योग्यता और डिजिटल जागरूकता (Analytic Ability and Digital Awareness)
- 8.2 स्नातक स्तर के अनिवार्य सह-पाठ्यक्रमों के अध्ययन-अध्यापन के लिए शैक्षिक संसाधनों की व्यवस्था विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा की जायेगी।

9. शोध परियोजना :

(5)



- 9.1 स्नातक / स्नातकोत्तर / पी0जी0जी0डी0आर0 स्तर पर विद्यार्थी को पांचवे से ग्यारहवें सेमेस्टर तक प्रत्येक सेमेस्टर में एक शोध परियोजना करनी होगी। विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष में वृहद शोध परियोजना करनी होगी। पी0जी0जी0डी0आर0 में शोध परियोजना का स्वरूप विश्वविद्यालय अपने प्री-पीएच-डी0 कोर्स वर्क के अनुसार बाद में निर्धारित करेगा।
- 9.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गए तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षष्ठम वर्ष के मुख्य विषय से सम्बन्धित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना इंटरडिस्प्लनरी भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग / इंटर्नशिप / सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।
- 9.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में की जाएगी। एक अन्य को-सुपरवाइजर किसी उद्योग, कंपनी, तकनीकी संस्थान शोध संस्थान से लिया जा सकता है। विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंक में से किया जाएगा।
- 9.4 स्नातक स्तर एवं पी0जी0जी0डी0आर0 के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा।
- 9.5 स्नातक शोध सहित एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर केचार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।
10. कक्षाओं हेतु समय-सारणी :
- 10.1 सभी महाविद्यालय / शिक्षण संस्थान प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व अपनी समय-सारणी (Time Table) इस प्रकार तैयार कर लें जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें जिनकी कक्षाएं अलग समय पर संचालित होती हैं तथा उनकी कक्षाओं के समय से ओवरलैपिंग न हो।
- 10.2 कॉलेज समय-सारणी में रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की थ्यौरी को अथवा शिक्षण कार्य को यथा सम्भव आरम्भ (प्रातः) अथवा अंत (सांय) में रखा जा सकता है। ताकि सभी विषयों के विद्यार्थी सुगमता से इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण, इन्टर्नशिप आदि को अवकाश के समय अथवा कॉलेज समय-सारणी के पश्चात् करायी जा सकती है अथवा इसके लिये सप्ताह में एक दिन निर्धारित किया जा सकता है।
11. डिग्री का संकाय एवं पूर्ण करने की अवधि/ पाठ्यक्रम की उत्तीर्णता आगामी सेमेस्टर में प्रवेश :
- 11.1 विद्यार्थी के लिए Certificate in Faculty का Course Module अर्थात् प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 04 वर्ष निर्धारित है। उक्त अवधि में विद्यार्थियों को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से न्यूनतम 46 क्रेडिट के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, उसके पश्चात् विद्यार्थी अगले (Course Module अर्थात् Diploma in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यताधारित कर सकेगा।

The image shows three handwritten signatures or marks in blue ink. One signature is on the left, another is in the center with a circled '6' above it, and a third is on the right.

- 11.2 विद्यार्थी के लिए Diploma पद Faculty का Course Module अर्थात् तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Certificiate in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्षद्वारा निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थी को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से 46 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा। इसके पश्चात् ही विद्यार्थी अगले –अगले Course Module अर्थात् Bachelor in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।
- 11.3 विद्यार्थी के लिए Bachelor in Faculty dk Course Module अर्थात् पांचवे एवं छठवें सेमेस्टर को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अधिकतम अवधि 03 वर्ष (Diploma in Faculty पूर्ण करने के उपरान्त 03 वर्ष) निर्धारित है। इस अवधि में विद्यार्थी को यह Course Module आवश्यक क्रेडिट (पांचवे एवं छठवें सेमेस्टर में सम्मिलित रूप से 40 क्रेडिट) के साथ पूर्ण करना आवश्यक होगा, इसके पश्चात् ही विद्यार्थी अगले Course Module अर्थात् Bachelor (Research) in Faculty में प्रवेश हेतु योग्यता धारित कर सकेगा।

12 क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण :

- 12.1 क्रेडिट के आधार पर शिक्षण कार्य : थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।
- 12.2 प्रैक्टिकल / इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल / इंटर्नशिप / फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल / इंटर्नशिप / फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा।
- 12.3 क्रेडिट्स का राज्य रत्तर पर संरक्षण – क्रेडिट संबंधित समस्त कार्य राज्य स्तरीय ABACUS-UP शासनादेश संख्या-1816/सत्तर-3-2021 दिनांक 09-08-2021 के माध्यम से किए जाएंगे, जिसके दिशा –निर्देश शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप अलग से जारी किए जाएंगे।
- 12.4 वर्षवार / मॉड्यूलवार पाद्यक्रमों के नाम : विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट न्यूनतम 92 क्रेडिट अंजित करने पर दो वर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करनेके पर तीन वर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इसके आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी0जी0डी0आर0 ले सकता है।
- 12.5 क्रेडिट अर्जन तथा उपयोग के पश्चात् रि-क्रेडिट की सुविधा – एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उनके क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खार्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है। तो वह या तो अपना गूल सर्टीफिकेट विद्यालय में जमा कर 46 क्रेडिट खाते में रि-क्रेडिट करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा, जिसके आधार पर वह द्वितीय वर्ष वार्षिक तृतीय वर्ष में (92+46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता

है तथा सर्टीफिकेट / डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।

- 12.6 योग्य विद्यार्थी (Fast Learner) को सुविधा – यदि कोई योग्य विद्यार्थी (Fast Learner) कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर उसे अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- 12.7 संकाय अथवा विषय बदलने पर डिप्लोमा नहीं – द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आएंगे न कि डिप्लोमा की, क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।
- 12.8 छात्र को उसके अपने संकाय में डिग्री – तीन वर्षों में विद्यार्थी जिस संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री दी जाएगी और विश्वविद्यालय में नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।
- 12.9 बैचलर ऑफ लिबरल एजूकेशन (B.L.Ed.) – यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत, यथा-112 का 60 प्रतिशत अर्थात् 67 क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसके बैचलर ऑफ लिबरल एजूकेशन (B.L.Ed.) की डिग्री दी जाएगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय की पूर्व पात्रता (Pre-Requisite) की आवश्यकता नहीं होगी। समान्यतः इस श्रेणी में कला संकाय के ऐसे विषय आएंगे जिनमें प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य नहीं हैं।
- 12.10 परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर रि-क्रेडिट वाले विद्यार्थियों को लाभ – यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टीफिकेट/डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट पुनः जमा (Re-Credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह रि-क्रेडिट किए गए क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।
- 12.11 रोजगारपरक पाठ्यक्रमों में क्रेडिट – रोजगार परक पाठ्यक्रम में प्रत्येक सेमेस्टर में विद्यार्थी को न्यूनतम 3 क्रेडिट अर्थात् प्रति वर्ष 6 क्रेडिट अर्जित करने होंगे। विद्यार्थी आवश्यकता से अधिक क्रेडिट वाले रोजगार परक पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकते हैं तथा उन्हें जमा कर सकते हैं, परन्तु एक वर्ष में 6 क्रेडिट/दो वर्ष में 12 क्रेडिट का उपयोग सर्टीफिकेट/डिप्लोमा / डिग्री प्राप्त करने में किया जायेगा।
13. उपस्थिति एवं परीक्षा व्यवस्था –
- 13.1 परीक्षा देने से पूर्व में नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। क्रेडिट वैलिडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे। छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में परीक्षा दे सकता है।
- 13.2 किसी पाठ्यक्रम संरचना (Course Module) के लिये निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करने में असफल छात्र के लिये पृथक रूप से पुनः परीक्षा अथवा बैंक पेपर परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी। सेमेस्टर प्रणाली की पारम्परिक और प्रचलित व्यवस्था के क्रम में उसे सम अथवा विषम सेमेस्टर की नियमानुसार आयोजित परीक्षा के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करते हुए पुनः परीक्षा देनी होगी।

(8)



[Signature]

- 13.3 सभी विषयों के प्रश्नत्र 100 अंकों के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं फार्मूला के अनुसार परसेन्टेजल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा ।
- 13.4 सभी विषयों की परीक्षा 100 में 25 अंकों के लिये सतत आन्तरिक मूल्यांकन (Continuous Internal Evaluation : CIE) एवं 75 अंकों के लिये वाहय मूल्यांकन के आधार पर ही सम्पन्न की जायेगी। 25 अंकों का आन्तरिक मूल्यांकन पाठ्यक्रमों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार होगा ।
- 13.5 महाविद्यालय केन्द्रीकृत व्यवस्था या अन्य सुचितापूर्ण व्यवस्था के अनुरूप सतत आन्तरिक मूल्यांकन करायेंगे तथा असाइनमेंट, यलास टेस्ट की उत्तर पुस्तिकाओं व अन्य रिपोर्टों को परीक्षा परिणाम घोषित होने के कम से कम एक वर्ष आगे तक सुरक्षित रखा जायेगा । सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को-करीकुलर विषय की परीक्षा बहुविकल्पीय आधार पर होगी ।
- 13.6 रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की परीक्षा : रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की थ्यौरी / सामान्य भाग की परीक्षा 1 क्रेडिटद्वारा विश्वविद्यालयी संरथानों / महाविद्यालय द्वारा करायी जायेगी तथा ट्रेनिंग / इन्टरनशिप 2 क्रेडिट की परीक्षा स्किल पार्टनर द्वारा करायी जायेगी ।
- 13.7 स्किल पार्टनर विद्यार्थी के द्वारा ट्रेनिंग / इन्टरनशिप के दौरान किये गये कार्य तथा ऑनलाइन / ऑफलाइन परीक्षा के आधार पर उसके स्किल का आंकलन कर सकते हैं ।
- 13.8 थ्यौरी एवं स्किल पार्ट (Theory and Skill Part) के अंक प्राप्त होने के पश्चात् समयान्तर्गत महाविद्यालय द्वारा ABACUS-UP पोर्टल पर अंक अपलोड किये जायेंगे । विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अंकतालिका / डिग्री में उक्त रोजगार परक विषय का विवरण अंकित किया जायेगा । इसके अंतिरिक्त, विश्वविद्यालय / महाविद्यालय एवं स्किल पार्टनर संयुक्त रूप से विद्यार्थी को अलग से भी सर्टीफिकेट जारी कर सकते हैं ।
14. उपरोक्त शासनादेश के निर्देशानुक्रम में उक्त संचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विज्ञान, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएँ तथा कृषि संकायों पर लागू होगी । तदनुक्रम में निम्न बिन्दुओं पर भी प्रमुखता से ध्यान अपेक्षित है :
- 14.1 स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन प्रमुख विषय, एक सहायक (माइनर) विषय, दो सह-पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे । जिसे उत्तीर्ण करने पर Certificate in Faculty प्रदान किया जायेगा । द्वितीय वर्ष तक 92 क्रेडिट संचित के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख विषय, एक सहायक, माइनरद्वारा विषय, दो संचित के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख विषय, एक सहायक, माइनरद्वारा विषय, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Diploma in Faculty प्रदान किया जायेगा । तृतीय वर्ष तक 132 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में दो Faculty प्रदान किया जायेगा । तृतीय वर्ष तक 184 संचित क्रेडिट प्राप्ति के सापेक्ष इस वर्ष में एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय तथा दो प्रमुख वृहद शोध परियोजनायें समिलित होंगी । जिसे उत्तीर्ण करने पर शोध सहित स्नातक Bachelor (Research) in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी । पांचवे वर्ष तक 232 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में एक प्रगुणा विषय एवं दो प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएँ समिलित होंगी, जिसे उत्तीर्ण करने के उपांत्त स्नातकोत्तर Master in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी । छठे वर्ष तक 248 रांचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में एक प्रमुख विषय, एक अनुसंधान पद्धति एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना समिलित होंगी, जिसे उत्तीर्ण करने

उपरान्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा ;शोधद्वारा (P.G.D.R. - Post Graduate Diploma in Research) प्रदान किया जा सकता है।

- 14.2 प्राथमिकता के आधार पर सातवें और आठवें वर्ष में अन्यथा की स्थिति में उसके आगे के वर्षों में शोध – प्रबन्ध (Research Thesis) जमा करना होगा, जिसके मूल्यांकन के उपरान्त सफल घोषित किये जाने की संरुपति के आधार पर पी-एचडी० की उपाधि प्रदान की जायेगी।
- 14.3 यूनिफार्म क्रेडिट एवं ग्रेडिंग सिस्टम का निर्धारण शासकीय निर्देशों के अनुरूप प्रचलित व्यवस्था के मानकानुरूप किया जायेगा।
- 14.4 प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था के सम्बन्ध में गाइडलाइन विश्वविद्यालय द्वारा ही जारी की जायेगी, महाविद्यालय अपने स्तर से इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं लेंगे।
- 14.5 स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम दो वर्षों में कौशल-विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का अध्ययन अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एमओय० हस्ताक्षर किया गया है, जिसके आलोक में विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को समन्वय स्थापित करना होगा।

संलग्नक : 1. स्नातक व स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना।


2. रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को बनाने हेतु संरचना प्रारूप।


प्रो० अरुण कुमार गुप्ता
प्राचार्य, श्री वार्ष्य महाविद्यालय, अलीगढ़
समन्वयक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 प्रकोष्ठ


डॉ० कमल सिंह
एसो०प्र०

धर्मसमाज कालेज, अलीगढ़ श्री वार्ष्य महाविद्यालय, अलीगढ़ टीकाराम कन्या महाविद्यालय, अलीगढ़
सदस्यगण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 प्रकोष्ठ राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़


डॉ० हेमेन्द्र कुमार गौड़
असिओ०प्र०


डॉ० मोनिका
एसो०प्र०